कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1314 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 08 अगस्त, 2026

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के अन्तर्गत मतदाताओं को जारी किए जाने वाले नोटिस के वितरण एवं सुनवाई की प्रगति एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की समीक्षा हेतु रोल ऑब्जर्वर्स, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 05 अगस्त, 2026 को अपरान्ह 04:00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में राज्य के सभी जनपदों से निम्न अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे–

1. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित मण्डलायुक्तों (रोल ऑब्जर्वस), जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) का स्वागत करते हुए पुनरीक्षण कार्य के अन्तर्गत जनपद स्तर पर अब तक की कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गयी कि अगले चरणों में नोटिस वितरण, प्राप्त दावे एवं आपत्तियों, सुनवाई की प्रगति, पर्यवेक्षण व्यवस्था, सुपर–चेकिंग तथा आयोग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण की जायेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से नोटिस वितरण एवं सुनवाई की प्रगति की जनपदवार समीक्षा करते हुए अवगत कराया गया कि दिनांक 05 अगस्त, 2026 को प्रातः 10:00 बजे तक राज्य में लगभग 24.30 लाख नोटिसों के सापेक्ष 18.92 लाख (77.86 प्रतिशत) नोटिस मतदाताओं तक बीएलओ के माध्यम से वितरित किए जा चुके हैं। शेष नोटिसों का वितरण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जनपदवार आयोजित सुनवाई, लंबित सुनवाई, पुनर्निर्धारित सुनवाई, पाँच दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किए गए सत्यापन की समीक्षा करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जनपदवार प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की समीक्षा करते हुए अवगत कराया गया कि अब तक फार्म–6 के 93,647 आवेदन, फार्म–7 के 1,39,011 आवेदन तथा फार्म–8 के 40,071 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का निस्तारण आयोग के निर्देशों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा Manual on Electoral Rolls–2023 के प्रावधानों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की वैधानिक प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश से सम्बन्धित भागों, आयोग के निर्देशों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा Manual on Electoral Rolls–2023 के प्रावधानों का एक–एक करके जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से ही विस्तृत प्रस्तुतिकरण कराया गया।

बैठक में निर्देशित किया गया कि Manual on Electoral Rolls–2023 के अध्याय–11 का प्रत्येक ERO एवं AERO द्वारा भली–भाँति अध्ययन किया जाए तथा सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण उसी के अनुरूप किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रतिदिन फार्म–9, 10, 11, 11ए एवं 11बी तैयार कर नियमानुसार प्रकाशित किए जाएँ। इनका प्रकाशन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, ERO कार्यालय एवं संबंधित मतदान केन्द्र के सूचना पट पर अनिवार्य रूप से किया जाए। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को इनकी प्रतियाँ अनिवार्यत साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जाए। सूची प्रकाशित होने के उपरान्त नियमानुसार सात स्पष्ट दिवस की अवधि पूर्ण होने के बाद ही दावों एवं आपत्तियों पर निर्णय लिया जाए।

बैठक में अवगत कराया गया कि प्रत्येक दावा एवं आपत्ति का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 एवं Manual on Electoral Rolls–2023 के अनुसार किया जाय। उन्होंने निर्देशित किया कि फार्म–6 में आपत्ति/किसी प्रकार की कमी होने पर फार्म–12 में नोटिस जारी किया जाए। फार्म–7 के प्रत्येक प्रकरण में आपत्तिकर्ता को फार्म–13 तथा संबंधित मतदाता को फार्म–14 के माध्यम से नोटिस जारी कर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाए। फार्म–8 के मामलों में आवश्यकतानुसार फार्म–15 के माध्यम से नोटिस जारी किया जाए। सभी नोटिस ERO–Net के माध्यम से जनरेट कर डाउनलोड कर बीएलओ के माध्यम से तामील कराए जाएँ। प्रत्येक सुनवाई के लिए न्यूनतम एक सप्ताह का अवसर उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में आयोग द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षण व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख करते हुए निम्न निर्देश दिए गए कि– प्रत्येक बीएलओ सुपरवाइजर अपने अधीनस्थ बीएलओ के कार्य का न्यूनतम 5 प्रतिशत सत्यापन करेंगे। जिन मतदान केन्द्रों में अपमार्जन (Deletion) की संख्या 2 प्रतिशत से अधिक होगी, वहाँ ईआरओ द्वारा व्यक्तिगत क्रॉस सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा पाँच से अधिक फार्म–7 प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे सभी मामलों का व्यक्तिगत सत्यापन एवं क्रॉस–वेरिफिकेशन स्वयं ईआरओ द्वारा किया जाएगा। एईआरओ द्वारा नाम परिवर्द्धन एवं अपमार्जन के कम से कम 1 प्रतिशत मामलों का पृथक फील्ड सत्यापन किया जाएगा। 10 से अधिक मतदाताओं वाले परिवारों, असामान्य लिंगानुपात वाले मतदान केन्द्रों तथा सर्वाधिक नाम जोड़ने एवं हटाने वाले मतदान केन्द्रों का पृथक सत्यापन कराया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि आयोग द्वारा निर्धारित रोल ऑब्जर्वस, डीईओ एवं सीईओ स्तरीय सुपर–चेकिंग व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ERO Net से यादृच्छिक रूप से चयनित प्रपत्रों का सुपर–चेकिंग करते हुए निर्धारित संख्या में अनिवार्य फील्ड सत्यापन सुनिश्चित करें। रोल ऑब्जर्वस/मंडलायुक्त निर्धारित प्रपत्रों का जनपदवार सुपर–चेकिंग कर गुणवत्ता की समीक्षा करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर भी ERO Net से चयनित मामलों का सुपर–चेकिंग एवं फील्ड सत्यापन किया जाएगा।

बैठक में निर्देशित किया कि आयोग के निर्देशानुसार सामान्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रस्तुत बल्क दावे एवं आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी तथा केवल व्यक्तिगत आवेदन ही स्वीकार किए जाएँगे। यह भी स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत Booth Level Agent (BLA) को सीमित छूट प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत एक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा पुनरीक्षण अवधि में अधिकतम 30 दावे/आपत्तियां प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी मामलों का भी व्यक्तिगत सत्यापन एवं क्रॉस–वेरिफिकेशन ईआरओ/एईआरओ द्वारा किया जाएगा। सभी फार्म निर्धारित घोषणा–पत्र एवं सूची के साथ प्रस्तुत किए जाएँगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी भी पात्र नागरिक को अनावश्यक असुविधा न होने पाए तथा प्रत्येक अधिकारी नागरिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे। उन्होंने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के मतदाताओं के मामलों में बीएलओ उनके निवास पर जाकर आवश्यक अभिलेख प्राप्त करते हुए सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण कराएँ। सामान्य विसंगति वाले मामलों में बीएलओ स्वयं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर नियमानुसार सत्यापन करते हुए यथासंभव अपने स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे मतदाताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उनके प्रकरणों को विशेष प्राथमिकता देते हुए ईआरओ/एईआरओ स्तर पर, मतदाताओं की सुविधा के लिए संबंधित मतदान केन्द्र पर ही सुनवाई आयोजित कर नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

बैठक के समापन पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने सभी रोल ऑब्जर्वर्स, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के अंतर्गत जारी नोटिसों की सुनवाई तथा प्राप्त प्रत्येक दावा एवं आपत्ति का निस्तारण पूर्णतः विधिसम्मत, पारदर्शी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए तथा पर्यवेक्षण एवं सुपर–चेकिंग की प्रत्येक व्यवस्था में आयोग के दिशा–निर्देशों का प्रभावी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या–1314 / XXV-25/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. कार्यालय प्रति।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

CHIEF ELECTORAL OFFICER
UTTARAKHAND

Meet – sfb-kkum-sci
meet.google.com/sfb-kkum-sci
Ask Gemini
16:02 | sfb-kkum-sci
NIC Dehradun
Apurva Pandey
D.M Pauri Garhwal
USNAGAR
DM Nainital
ADM UTTARKASHI
DM PITHORAGARH
DM Tehri Garhwal
District Chamoli Uttarakhand
Kumaon Commissioner
sunil raj
47 others
Type here to search
ENG
4:02 PM
8/5/2026